दूरभाष [6451635
6451671

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

पांचवें से आठवां तल, स्काईलार्क बिल्डिंग, 60 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

संख्या : इ(डीएल)/ 15477 /आवृति /4736 पंजीकृत सपावती

29 SEP 1993

सेवा में,

मैसर्स Arna House Keeping Services
A-100 North Vinod Nagar Mandawali,
Fazalpur, Delhi 110092

विषय । कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत रचित स्कीमों का मैसर्स As above पर लागू होना ।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 1-1-93 को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा 20-1-93 को किए गए निरीक्षक के आधार पर स्पष्ट होता है कि ।—

(क) आपकी स्थापना फैक्टरी अर्थात मैसर्स As above .... जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनिय, 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/अनुसूची-1 में शामिल Expert Services कार्य में लगी हुई हैं ।

(ख) उक्त स्थापना(फैक्टरी में दिनांक 1-12-92 को 20 .... व्यक्ति कार्यरत हैं ।

(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16 (1) (ख) के उपबन्धों के अंतर्गत 1-12-89 को 3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है । अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत रचित स्कीमों, उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं/विभागों पर, चाहे वे एक स्थान पर है अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं, 1-12-92 तारीख से ~~अस्थायी/स्थायी~~ रूप से लागू है, इसके अतिरिक्त आपके पूर्व रिकाड़ों की जांच अभी की जाएगी ।

~~आपके आवेदन पत्र सं० .... दिनांक .... के सन्दर्भ में आपकी प्रशासनिक आधार पर कोड सं० डी एल/ .... आवरित किया जाता है । कृपया नोट करलें कि इससे स्थापना की मूल आवृति प्रभावित नही होगी और इसे सभी प्रयजनों (क्षतिमूल्य आदि) के लिए मूल यूनिट का अनिवार्य अंग माना जाएगा । .... से .... तक की अवधि का कर्मचारी का हिस्सा नहीं छोड़ा जाएगा ।~~

~~अधिनियम धारा 1 (4) के अतर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन पत्र संख्या .... दिनांक .... के सन्दर्भ में आपकी स्थापना अर्थात .... संख्या .... को कोड .... अलाट किया जा रहा है । अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से .... से लाया जा रहा है, तब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 1 उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नही कर देती ।~~

2. आपकी स्थापना को कोड नम्बर डी०एल 15477 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उनके अंतर्गत रचित स्कीमों अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 और निक्षेप सहवद्व बीमा स्कीम, 1976 के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है । यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उदधृत किया जाना चाहिए ।

3. नियोक्ता द्वारा देय अंशदान को, दर मूल वेतन, महगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत के नकद मुल्य सहित) और निर्वाह भत्ता यदि कोई हैं, प्रत्येक कर्मचारी को 8 1/3 % की दर से प्रतिमाह देय होगा । कर्मचारी द्वारा देय अंशदान का दर नियोक्ता द्वारा देय के समान होगी ।

I अंशदान की सगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, महगाई भत्ता आदि, चाहे भुगतान दैनिक, सप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक आधार पर किया गया हो, की जाएगी,

II अंशदान की सगणना नजदीकी रुपए में अर्थात 50 पैसा या अधिक को एक रुपये में तथा 50 से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी ।

III अंशदान की सगणना हेतु वेतन की नजदीकी रुपये में अर्थात 50 पैसा या अधिक को एक रुपये से तथा 50 से कम पैसा को छोड़कर की जाएगी ।

क्रमश । पेज 2

(vi) फार्म सं० 12–क — यह अंशदान का मासिक रिटर्न फार्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता हैं। भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गई राशि से सम्बधित चालान की तीसरी प्रतियां इसके साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(vii) फार्म सं० 5 और 10 — यह उन कर्मचारियों से संबधित रिटर्न हैं जो माह के दौरान नए सदस्य बनाए जाते है या नौकरी छोड़ जाते है और इन्हें अगले माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता हैं।

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कुटुम्ब पेंशन निधि स्कीम, 1971 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 से संबधित सभी निर्धारित फार्म भविष्य कार्यालय में उपलब्ध हैं और इन्हे निशुल्क आपका मांग पत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न हैं।

8. कुटुम्ब पेंशन निधि अंशदान के संबंध में इसे कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और संबधित फार्मों में अलग से दिखाते हुए 1-10-93 माह से लेखा सं० 10 में जमा करना होता है।

9, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से सबंधित 1-12-92 से 30-9-93 तक की बकाया राशि 15-10-93 को या इससे पूर्व जमा कराना होता हैं।

10, यदि इस स्कीम को लागू करते समय फार्म सं० 9 (संशोधित) में दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 1 में निर्धारित चालाना में जमा करायी जाए और चालान की तीसरी प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए। भविष्य निधि की निवेश की गई समस्त राशि से सबधित सभी प्रति भूतियों का चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तांतरण कर दिया जाए और हस्तांतरित की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाए। राशि के अन्तरण के सुम्बन्ध में दिए गए निदेशों से सम्बन्धित नोट सलग्न किया जा रहा है। निजी भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकड़ का इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अंतरण कर दिया जाए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अंतरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक नुकसानी अदा करनी होगी।

कृपया पत्र व अनुलग्नको की पावती भेजें।

भवदीय।

(के. सी. जैन).
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
Regional Provident Fund Commissioner
Delhi

अनुलग्नक।

1, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम को लागू करने से सम्बन्धित निदेश।
2, लेखा संख्या अलाट करने से सम्बन्धित निदेश।
3, पूर्व भविष्य निधि राशि और प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने से सम्बन्धित निदेश।
4, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कुटुम्ब पेंशन अंशदान, निक्षप सहबद्ध बीमा अंशदान की सगणना से सबधित रेडी रेकनर।
5, फार्म 5-क (तीन प्रतियों में)।

प्रतिलिपि :

1, श्री/श्रीमती.... ....भविष्य निधि निरीक्षक को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित की जाती है। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना के सम्बधित फार्म 5-क की दो प्रतियां स्थापना से प्राप्त करें। उन्हे सलाह दो जाती है कि वे कें० भ० नि० आ० के परिपत्र स० इ-72/11 (28) 80/पीएन दिनांक 6 6-1981 में दिए गए अनुदेशो के अनुसार 45 दिन के भीतर कवरेज का स्थायी करें:
2, लेखा अनुभाग, उपक्षेत्रीय कार्यालय........................../यह समझा जाता है कि इस फैक्टरी/स्थापना के पास भविष्य निधि से सम्बधित ऐसी राशि उपलब्ध हैं/नही हैं, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अंतरित किया जाना हैं इसे ग्रुप द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभ्युक्तियो के साथ नोट किया जाए)।
3, प्रवर्तन शाखा..............................अनुभाग।
4, फाइल स० इ/डीएल/.............................
5, क्षे० भ० नि० आ० ....का उनके पत्र स०.............................. दिनांक————————के सन्दर्भ में सूचना और आवश्यक कार्यवाई हेतु।

सतीश चन्द्र
कृते क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
7 व 8 वां तल, मयूर भवन
60-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019.